रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3— उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 188] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 15, 1997/वैशाख 25, 1919
No. 188] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 15, 1997/VAISAKHA 25, 1919

MAY

वित्त मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 1997

सा. का. नि. 265(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 641 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की अनूसूची 2 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अनूसूची के भाग 1 में, साधारण जानकारी से संबंधित खंड 1 के उपखंड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1) निदेशक बोर्ड द्वारा निम्नलिखित कथन करते हुए एक विवरण प्रस्तुत करना—

(i) जनता को पुरोधरण किए गए शेयरों या डिबेंचरों से प्राप्त सभी धन धारा 73 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट बैंक खाते से भिन्न एक पृथक बैंक खाते में अन्तरित किया जाएगा ;

(ii) उपमद (i) में निर्दिष्ट पुरोधरण में से उपयोग किए गए सभी धन के ब्यौरे कंपनी द्वारा समुचित पृथक् शीर्ष के अन्तर्गत तुलनपत्र में वह प्रयोजन दर्शित करते हुए जिसके लिए ऐसा धन उपयोग किया गया था, प्रकट किए जाएंगे ; और

(iii) उपमद (i) में निर्दिष्ट शेयरों या डिबेन्चरों के पुरोधरण में से उपयोग न किए गए सभी धन के ब्यौरे, यदि कोई हो, कंपनी द्वारा समुचित पृथक् शीर्ष के अन्तर्गत तुलनपत्र में, वह स्वरूप दर्शित करते हुए, जिसमें ऐसे उपयोग न किए गए धन का विनिधान किया गया है, प्रकट किए जाएंगे ।"

[फा. सं. 17/32/93-सी.एल.-5 खंड-2]

आर. डी. जोशी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : अनुसूची निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई :

1. सा. का. नि. 666(अ) दिनांक 3-10-1991
2. डिपोसिटरीज एक्ट, 1996 (22 का 1996)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 1997

G.S.R. 265(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 641 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following further alterations in Schedule II to the said Act, namely :—

2. In the said Schedule, in Part I, in clause 1 relating to General information after sub-clause (k), the following sub-clause shall be inserted, namely :

"(1) a statement by the board of directors stating that—

(i) all monies received out of issue of shares or debentures to public shall be transferred to a separate bank account other than the bank account referred to in sub-section (3) of section 73;

(ii) details of all monies utilised out of issue referred to in sub-item (i) shall be disclosed under an appropriate separate head in the Balance Sheet of the company indicating the purpose for which such monies had been utilised; and

(iii) details of all unutilised monies out of issue of shares or debentures, if any, referred to in sub-item (i) shall be disclosed under an appropriate separate head in the Balance Sheet of the company indicating the form in which such unutilised monies have been invested."

[File No. 17/32/93-CL. Vol. II]

R. D. JOSHI, Jt. Secy.

Note :—The Schedule was amended vide :

1. G.S.R. No. 666(E) dated 3-10-1991.
2. Depositories Act, 1996 (22 of 1996).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997